

// विज्ञापन //

सत्र 2019-20 में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में बी.एस.सी. एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग के संबंध में सूचना

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा सत्र 2019-20 में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में बी.एस.सी. एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की कार्यवाही निम्न कार्यक्रम अनुसार दिनांक 13.12.2019 से प्रारम्भ की जा रही है :-

प्रथम चरण (ऑनलाइन काउंसिलिंग)		
स.क्र.	विवरण	दिनांक
1-	रिवित्तियों का प्रकाशन	13.12.2019
2-	पंजीयन, च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग	13.12.2019 (साय 5.00 बजे से) 17.12.2019 (मध्यरात्रि 11.59 बजे तक)
3-	पंजीकृत अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता (मेरिट) सूची का प्रकाशन (बी.एस.सी. एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम)	18.12.2019
4-	आवंटन का परिणाम	20.12.2019
5-	आवंटित नर्सिंग महाविद्यालयों में उपस्थिति, प्रवेश प्रक्रिया एवं स्कूटनी (अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है)	21.12.2019 से 27.12.2019 (साय 5.00 बजे तक)
मॉप-अप चरण		
6-	रिवित्तियों का प्रकाशन, पंजीकृत बीएससी एवं पोस्ट बीएससी अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन ।	28.12.2019
7-	शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में मेरिट के आधार पर ऑफलाइन आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया	30 एवं 31.12.2019 (साय 5.00 बजे तक)

उपरोक्त काउंसिलिंग, आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही तथा अन्य जानकारी संचालनालय की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं निर्धारित पोर्टल <https://dme.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी । कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट एवं निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी ।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संचालनालय एवं एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट पर लगातार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहें । इस हेतु अलग से संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

//बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 की काउंसिलिंग प्रक्रिया संबंधी सूचना एवं आवश्यक दिशा निर्देश//

मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालयों में शासन द्वारा स्वीकृत नवीन 390 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. पात्र महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना ऑनलाईन पंजीयन विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कराया जाना आवश्यक है।
2. केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवंटन हेतु अपना विकल्प (च्वाईस फिलिंग एवं च्वाईस लॉकिंग) पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। पंजीयन एवं विकल्प दर्ज करने से पूर्व अभ्यर्थी संचालनालय की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in, शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर की वेब साइट www.govnursingcollegeindore.in एवं एम0पी0 आनलाईन के पोर्टल dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग मेनुअल का अध्ययन कर ले इसके पश्चात ही प्रक्रिया संपन्न करें।
3. सीटों पर आरक्षण निम्नानुसार रहेगा :-


UR	ST	SC	OBC	EWS
27%	20%	16%	27%	10%

4. प्रथम चरण की काउंसिलिंग ऑनलाईन पद्धति से की जायेगी। मॉप अप चरण आफ लाईन पद्धति से किया जायेगा। प्रथम चरण की ऑनलाईन आवंटन की प्रक्रिया में Category Conversion होगा।

मॉप अप चरण में समस्त सीटें अनारक्षित होंगी। मॉप अप चरण की मेरिट में केवल वही पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।

5. पंजीकरण च्वाईस फिलिंग के उपरांत च्वाईस लॉक करने हेतु अभ्यर्थी को 1000/- का शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। यह शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी अपने नेट बैंकिंग/डेबिटकार्ड/क्रेडिटकार्ड/यु.पी.आई अथवा अपने नजदीक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से कर सकता है।
6. पंजीकरण एवं च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13.12.2019 सायं 05:00 बजे के पश्चात से दिनांक 17.12.2019 रात्री 11:59 PM बजे तक जारी रहेगी। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।

7. पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिलिंग, च्वाईस लॉकिंग संपन्न किये जाने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग करने के उपरान्त अपनी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।
8. सीटों का आवंटन मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST 2019-20) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में से एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर बी.एस.सी पाठ्यक्रम के लिये करायी जा रही काउंसिलिंग हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
9. आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा, एवं प्रवेश हेतु पात्रता अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।
10. आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र (Allotment Letter) एमपी ऑनलाईन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेगा।
11. आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में प्रवेश के लिए स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेज, 5 पासपोर्ट साईज की कलर फोटो जो कि अभ्यर्थी द्वारा व्यापम की परीक्षा में लगाया गया है एवं निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।
12. EWS अभ्यर्थी की अहर्ता अनारक्षित श्रेणी के समान होगी। EWS श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित सामान्य प्रशासन विभाग के Circular के साथ संलग्न EWS प्रपत्र अनुसार मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. प्रवेश हेतु चयन संबंधी नियम PNST 2019 संचालनालय की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in, शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर की वेबसाइट www.govnursingcollegeindore.in एवं एमपी ऑनलाईन के पोर्टल dme.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
14. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की वे काउंसिलिंग संबंधी जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट के सतत संपर्क में रहे।


 संचालक चिकित्सा शिक्षा
 मध्य प्रदेश
 12/11/19

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा बाबत।

.....

भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम, 2019 में निम्नांकित प्रावधान किए हैं:-

2. In article 15 of the Constitution, after clause (5), the following clause shall be inserted namely:-

'(6) Nothing in this article or sub-clause (g) of clause (1) of article 19 or clause (2) of article 29 shall prevent the State from making:-

(a) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5); and

(b) any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5) in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30, which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of ten per cent, of the total seats in each category.

Explanation- For the purposes of this article and article 16, "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage.'

3. In article 16 of the Constitution, after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:-

"(6) Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause (4), in addition to the existing reservation and subject to a maximum of ten per cent, of the posts in each category."

2. राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया है कि उक्त संविधान संशोधन के अनुरूप मध्यप्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो, संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

3. अतः अब :-

1. निर्देश जारी होने के दिनांक से राज्य शासन के प्रत्येक "स्थापन" में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर उक्त आरक्षण प्रभावशील होगा।

टीप:- "स्थापन" का आशय वही होगा, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-2(ख) में वर्णित है।

2. इस वर्ष प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर, प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु उक्त आरक्षण प्रभावशील होगा। किन्तु जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन शिक्षण संस्थाओं में उक्त आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा।

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:-

(1) ऐसे परिवार की कुल वार्षिक आय रू० 8.00 (आठ लाख) से अधिक न हो। आय में सभी स्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि से होवे।



(2) निम्न व्यक्ति उक्त योजना में पात्र नहीं होंगे:-


- (1) जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो
(जिनके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इसमें शामिल नहीं होगी)
- (2) जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
- (3) जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- (4) नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

5. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण पत्र

आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण-पत्र का प्ररूप संलग्न है।

संलग्न:-यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार.


02.07.19.


(प्रेमचन्द मीना)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।

8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
 9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
 10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
 11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
 13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
 14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
 15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
 16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
 17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
 18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
 19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
 20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
21/15

(सामान्य प्रशासन विभाग का जापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019
का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाल आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस.....थाना.....
तहसील..... जिला..... राज्य.....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 08
लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी
परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार
उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
- II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में
स्थित हो।
- III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
- IV. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

2. श्री/ श्रीमती/कुमारी.....जाति..... के
सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं
है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम


अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार

दिनांक - 13/12/2019

बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2019-20 हेतु शुल्क का विवरण

शिक्षण शुल्क -	रु0 25000/- प्रतिवर्ष
कम्प्यूटर फीस-	रु0 1000/- (एक बार)
कॉशन मनी-	रु0 500/- (एक बार रिफण्डेबल)
होस्टल फीस-	रु0 6000/- प्रतिवर्ष (एच्छिक)
कुल योग-	रु0 32500/-

राशि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो कि संबंधित संस्था सी ई ओ ऑटोनोमस सोसाईटी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के नाम से देय होगी।



संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
Date
12/12/19

दिनांक - दिनांक - 13/12/2019

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग पाठ्यक्रम 2019-20 हेतु शुल्क का विवरण

शिक्षण शुल्क -	रु0 25000/- प्रतिवर्ष
कम्प्यूटर फीस-	रु0 1000/- (एक बार)
कॉशन मनी-	रु0 500/- (एक बार रिफण्डेबल)
लायब्रेरी फीस-	रु0 2500/- (एक बार)
ट्रान्सपोर्ट फीस-	रु0 3000/- प्रतिवर्ष (क्लीनिकल अनुभव हेतु)
कुल योग-	रु0 32000/-

राशि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो कि सी ई ओ ऑटोनोमस सोसाईटी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर के नाम से देय होगी।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
Date
12/12/19

// पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम सत्र 2019-20 की काउंसिलिंग प्रक्रिया संबंधी सूचना एवं आवश्यक दिशा निर्देश //

मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में शासन द्वारा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में स्वीकृत नवीन 40 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

1. शैक्षणिक योग्यता-

1.1 जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण (3^{1/2} वर्षीय डिप्लोमा कोर्स) रजिस्टर्ड नर्स/रजिस्टर्ड मीडवाईफ जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण प्राप्तांक अनारक्षित अभ्यर्थी हेतु 55 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु 50 प्रतिशत।

1.2 अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष होगी।

2. पात्र महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अपना ऑनलाईन पंजीयन विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कराया जाना आवश्यक है।
3. सीटों पर आरक्षण निम्नानुसार रहेगा :-

UR	ST	SC	OBC	EWS
27%	20%	16%	27%	10%


4. पंजीकरण के लिये अभ्यर्थी को 1000/-का शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। यह शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी अपने नेट बैंकिंग/डेबिटकार्ड/क्रेडिट कार्ड/यू.पी.आई अथवा अपने नजदीक एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से कर सकता है।
5. पंजीकरण की प्रक्रिया घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13.12.2019 सायं 05:00 बजे के पश्चात से दिनांक 17.12.2019 रात्री 11:59 PM बजे तक जारी रहेगी। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल होना, कम्प्यूटर का फेल होना, तकनीकी त्रुटि, बिजली का जाना आदि के कारण बढ़ाया नहीं जायेगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह समयावधि के भीतर जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें एवं पंजीकरण की अंतिम तिथि तक इंतजार न करें।
6. पंजीकरण, संपन्न हो जाने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
7. मेरिट सूची रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज करायी गयी जनरल नर्सिंग अंतिम वर्ष की अंकसूची के आधार पर तैयार की जायेगी।
8. प्रथम चरण की काउंसिलिंग ऑनलाईन पद्धति से की जायेगी। मॉप अप चरण आफ लाईन पद्धति से किया जायेगा। प्रथम चरण की ऑनलाईन आवंटन की प्रक्रिया में Category Conversion होगा।

मॉप अप चरण में समस्त सीटें अनारक्षित होंगी। मॉप अप चरण की मेरिट में केवल वही पंजीकृत अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है।

9. आवंटन हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार होगी -

- 9.1 प्रथमतः मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनसे संबंध चिकित्सालयों इंदौर / भोपाल / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / सागर में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मचारी को प्राथमिकता (जो महिला उम्मीदवार 5 साल की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुकी है और जिनको उनके विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो)।
- 9.2 चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने के स्थिति में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जो महिला उम्मीदवार 5 साल की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुकी है और जिनको उनके विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो) एवं केन्द्र शासन के अधीन चिकित्सालय में कार्यरत महिला उम्मीदवार।
- 9.3 उपरोक्त उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ।

10. आवंटन परिणाम घोषित होने के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र एमपी आनलाईन पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेगा।
11. आवंटित अभ्यर्थी को शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर में प्रवेश के लिए स्वयं अपने आवंटन पत्र, आवश्यक मूल दस्तावेज जिनकी सूची उक्त वेबसाइट एवं पोर्टल पर उपलब्ध है एवं निर्धारित शुल्क के साथ विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत होना होगा।
12. EWS अभ्यर्थी की अहर्ता अनारक्षित श्रेणी के समान होगी। EWS श्रेणी के अन्तर्गत आवंटित सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित सामान्य प्रशासन विभाग के Circular के साथ संलग्न EWS प्रपत्र अनुसार मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. सभी नर्सिंग उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. आवंटन पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगा, एवं प्रवेश हेतु पात्रता अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त पात्रता के निर्धारण पर आधारित होगा।
15. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है की वे काउंसिलिंग संबंधी जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in, शासकीय नर्सिंग कॉलेज इंदौर की वेब साइट www.govnursingcollegeindore.in एवं एम0पी0 आनलाईन के पोर्टल dme.mponline.gov.in के सतत संपर्क में रहे।


संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
12/11/19

B.Sc.Nursing प्रवेश सत्र 2019-20

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

छात्रा का नाम.....

श्रेणी :

स्कूटनी दिनांक.....

क्र.	प्रमाण-पत्र	जमा के लिए (YES) नहीं के लिए (NO)
1.	एमपी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन स्लिप	
2.	एमपी ऑनलाईन द्वारा जारी आवंटन पत्र	
3.	PNST उत्तीर्ण अंकसूची/ PNST एडमिट कार्ड की छायाप्रति	
4.	10 वी उत्तीर्ण मूल अंकसूची	
5.	12 वी उत्तीर्ण मूल अंकसूची	
6.	मूल-निवासी प्रमाण-पत्र	
7.	जाति प्रमाण-पत्र (लागू हो तो)	
8.	आय प्रमाण-पत्र (लागू हो तो)	
9.	पासपोर्ट फोटो-05 प्रति	
10.	मेडिकल प्रमाण-पत्र	
11.	पीएनएसटी 2019 नियम में संलग्न प्रारूप 1 से 9 में जो लागू हो	
12.	गैप सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)	
13.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0)	
14.	चरित्र प्रमाण-पत्र	
15.	माइग्रेशन प्रमाण-पत्र	
16.	अनुबंध पत्र रु. 2 लाख (100/- के स्टाम्प पेपर पर) के साथ सौल्वेंसी भरना अनिवार्य है।	

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

1.....

2.....

3.....

छात्रा के हस्ताक्षर

प्रवेश समिति/स्कूटनी अधिकारी हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

M.Sc.Nursing प्रवेश सत्र 2019-20

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

छात्रा का नाम.....

श्रेणी :.....

स्कूटनी दिनांक.....

क्र.	मूल दस्तावेज	जमा के लिए (YES) नहीं के लिए (NO)
1.	10 वी एवं 12 वी उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र	
2.	बी.एस.सी.नर्सिंग- I, II, III, IV year मार्कशीट	
3.	महाकौशल नर्सस का रजिस्ट्रेशन	
4.	डिग्री	
5.	मूल-निवासी प्रमाण-पत्र	
6.	जाति प्रमाण-पत्र (लागू हो तो)	
7.	आय प्रमाण-पत्र (लागू हो तो)	
8.	चरित्र प्रमाण-पत्र	
9.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र	
10.	मेडिकल प्रमाण-पत्र	
11.	पासपोर्ट फोटो-05 प्रति	
12.	कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र	
13.	अन्य	

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं। सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

1.....

2.....

3.....

छात्रा के हस्ताक्षर

प्रवेश समिति/स्कूटनी अधिकारी हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
CATEGORY WISE DISTRIBUTION OF POST BASIC B.Sc NURSING SEATS IN GOVERNMENT
NURSING COLLEGES MGMC INDORE, ACADEMIC SESSION 2019-20
(FIRST ROUND)


UR	ST	SC	OBC	EWS	Total
11	8	6	11	4	40

by
DIRECTOR MEDICAL EDUCATION
Madhya Pradesh
Dist
12/12/19

**TIME SCHEDULE FOR B.Sc and Post Basic BSc NURSING COUNSELLING FOR ADMISSION IN
GOVERNMENT NURSING COLLEGES OF MADHYA PRADESH ACADEMIC SESSION 2019-20**


FIRST ROUND (Online Counselling)

S.No.	Activity	Date
1	Publication of vacancies	13-12-2019
2	Registration and Choice filling & Choice Locking	13-12-2019 (after 05:00pm) to 17-12-2019 midnight (11:59 PM)
3	Merit of Registered candidates of B.Sc and Post Basic Nursing Courses	18-12-2019
4	Allotment Result	20-12-2019
5	Reporting by allotted candidate in Person at allotted Medical college for Scrutiny and Admission Process	21-12-2019 to 27-12-2019 (05:00 PM)
MOP UP ROUND		
6	Publication of vacancies, waiting list of registered B.Sc and Post Basic B.Sc. Candidates.	28-12-2019
7	On the spot offline allotment and admission as per merit at Govt. Nursing College, Gandhi Medical college Bhopal	30 and 31 Dec. 2019 from 10:30 AM TO 5:30 PM


 DIRECTOR MEDICAL EDUCATION
 Madhya Pradesh
 Date: 12/12/19

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH
CATEGORY WISE DISTRIBUTION OF B.Sc NURSING SEATS IN GOVERNMENT NURSING COLLEGES OF MADHYA PRADESH ACADEMIC SESSION 2019-20
(FIRST ROUND)

S.No	College Name	Total Number of Seats	UR	UR SN/FF	Total Seats	ST	ST SN/FF	Total Seats	SC	SC SN/FF	Total Seats	OBC	OBC SN/FF	Total Seats	EWS	EWS SN/FF	Total Seats
1	Govt. Nursing college MGMC Indore	120	32	1	33	24	0	24	19	0	19	32	0	32	12	0	12
2	Govt. Nursing college GMC Bhopal	60	16	0	16	11	1	12	10	0	10	15	1	16	6	0	6
3	Govt. Nursing college GRMC Gwalior	60	15	1	16	12	0	12	9	1	10	15	1	16	6	0	6
4	Govt. Nursing college BMCSagar	60	16	0	16	11	1	12	9	0	9	16	1	17	6	0	6
5	Govt. Nursing college SSMC Rewa	30	8	0	8	5	1	6	5	0	5	8	0	8	3	0	3
6	Govt. Nursing college NSCB Jabalpur	60	15	1	16	12	0	12	9	1	10	16	0	16	5	1	6
Total		390	102	3	105	75	3	78	61	2	63	102	3	105	38	1	39


 DIRECTOR MEDICAL EDUCATION
 Madhya Pradesh
 22/12/19